इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 211] भोपाल, सोमवार, दिनांक 12 अप्रैल 2021—चैत्र 22, शक 1943

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2021

क्र. एफ 35-09-2020-दो-सी-2.—चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य में कोविड-19 वायरस के प्रकोप के कारण, आपदा का नियंत्रण करने के लिए प्रभावी प्रबंधन किए जाने हेतु उपबंध करने एवं कोविड-19 वायरस के प्रकोप को रोकने के लिए शासन स्तर पर विशेष उपाय किया जाना आवश्यक है.

और यत: राज्य सरकार कोरोना बीमारी के रोगियों को समय पर उपचार के लिए अस्पतालों में ऑक्सीजन की आपूर्ति आसान उपलब्धता सुनिश्चित करना समीचीन समझती है.

अतएव आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 (2005 का 53) की धारा 38 की उप-धारा (1) एवं उप-धारा (2) के खण्ड (ठ) और महामारी रोग अधिनियम, 1897 (1897 का 3) की धारा 2 द्वारा प्रदत्त शक्तियों तथा इस निमित्त उसे सक्षम बनाने वाली अन्य सभी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, यह घोषणा करती है कि ऐसी आपदा के दौरान इस अधिसूचना की दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिए, चिकित्सा प्रयोजन के लिए ऑक्सीजन ले जाने के लिए अनुमति प्राप्त वाहनों को केवल ऑक्सीजन ले जाने के लिए एम्बुलेंस के समकक्ष माना जायेगा और तदनुसार ऐसे वाहनों को आपातकालीन और आपदा प्रबंधन कर्तव्यों पर वाहन के रूप में माना जायेगा. इस प्रयोजन के लिए, ऐसे वाहनों को केन्द्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 108 के उप-नियम (7) और नियम 119 के उप-नियम (3) के प्रावधान लागू होंगे.

No. F 35-09-2020-II-C-2.— Whereas, due to outbreak of Covid-19 Virus in the State of Madhya Pradesh, it is necessary to provide for the effective management to control the disaster and to take certain measures at the Government level to prevent the outbreak of Covid-19 Virus;

And whereas, the State Government considers it expedient to ensure easy availability of the supply of oxygen in hospitals for timely treatment of patients of corona disease;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) and clause (1) of sub-section (2) of Section 38 of the Disaster Management Act, 2005 (53 of 2005) and Section 2 of the Epidemic Disease Act, 1897 (3 of 1897) and all other powers enabling it in this behalf, the Government of Madhya Pradesh, hereby, declares that the vehicles permitted for carrying Oxygen for medical purposes shall be treated at par with the Ambulance for carrying only oxygen, for a period of one year from the date of notification during such disaster and thereby such vehicles shall be as the vehicle on emergency and disaster management duties. For this purpose, provisions of sub rule (7) of rule 108 and sub-rule (3) of rule 119 of Central Motor Vehicles Rules, 1989 shall apply to such vehicle.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रीति यादव, उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित—2021.